

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- पंकज गढवाल ( आर0ए0एस0 )  
मिसल न0- 09/2023

अनवान :-

1. पतराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. भुराराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. दलीप कुमार पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर
4. नत्थुराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

बनाम्

1. हंसराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मंगलाराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
3. जयसिंह पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
4. बुधराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
5. भागीरथ पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
6. सतवीर पुत्र रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
7. जगदीश पुत्र रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
8. कमला पुत्री रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
9. नीमा पुत्री रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. विमला पुत्री रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
11. रेशम पत्नी रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. काशीराम पुत्र मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील जिला हनुमानगढ
13. बाधो पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
14. मीरा पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
15. रेशमा पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. शारदा पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
17. सन्तो पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर ।

-गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0  
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री विजयसिंह कडवासरा अभिभाषक, सायलान  
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवता गै.सा न0 1,2

निर्णय दिनांक : 24/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायलान व गैर सायलान आपस में खेत पडोसी है तथा सायलान के खेत का रास्ता पूर्वजों के समय से 50 वर्षों से अधिक समय से चलता आ रहा है रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 235/121 के खसरा न0 397/3 की 0.7180हैक सायल न0 1 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 खसरा न0 187/1 की 0.5690है व खसरा न0 187/2 की 3.7310हैक व खसरा न0 396/2 की 6.4630हैक कुल 10.7630हैक सायलान न0 1,3,4 की सयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 234/121 खसरा न0 397/2 की 0.7180हैक सायल संख्या 2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है ।

रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न0 397/4 की 0.7180हैक गैरसायल न0 1 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 के खसरा न0 187/1 की 3.1990हैक व खसरा न0 187/10 की 0.5060हैक व खसरा न0 187/9 की 0.7590हैक व खसरा न0 396/3 की 6.4750हैक कुल 10.9390हैक गैरसायल संख्या 2 ता 5 की सयुक्त रूप से कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है

तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 के खसरा न0 114/1 की 2.2770हैक व खसरा न0 114/2 की 1.1380हैक व खसरा न0 212 की 0.1140हैक व खसरा न0 224/3 की 2.0110हैक व खसरा न0 343/2.1750हैक व खसरा न0 345/2.8080हैक व खसरा न0 364 की 4.6920हैक व खसरा न0 391/0.0760हैक व खसरा न0 393/0.1260हैक व खसरा न0 394/2 की 5.7410हैक व खसरा न0 398/1 की 2.8080हैक कुल 23.9660हैक गैर सायला न0 6 ता 17 की सयुक्त रूप से कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है।

सायलान के खेत का रास्ता उनके पूर्वजों के समय से 50 साल से ज्यादा समय से गैर सायलान के खेत में से होकर हमेशा चालू है जिसका वे उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं तथा उनके खेत का एक मात्र नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता पुराने समय से चला आ रहा है जिसको गैर सायलान अब सायलान की मुखालिफो के बहकावे में आकर राजेनेतिक पार्टी बाजी के वजह से उन्हें परेशान करने की गर्ज से बन्द करने की योजना बना रहे हैं जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है।

सायलान के खेत का यही एक मात्र रास्ता है तथा सालयान का खेत गांव के दक्षिणी तरफ पडता है तथा सायलान गांव तथा सायलान गांव से चलकर माईनर के साथ साथ लगते हुए रास्ता से होते हुए प्रथम सतवीर आदि गैर सायलान न0 6 ता 17 से पूर्वी तरफ से उतर दक्षिण वाके रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 की कुल 23.9660हैक से होकर उसके पश्चात गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न0 397/4 के उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम सायल न0 1 के खेत खसरा न0 397/3 में प्रवेश कर जाता है तथा सायल न0 1 के खेत खसरा न0 397/3 के उतरी किनारे से पूर्व से पश्चिम सायल न0 2 भुराराम अपने खेत खसरा न0 397/2 में प्रवेश कर जाता है तथा इसी प्रकार सायलान 1 ,3 ,4 अपने खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 की कुल 10.7630हैक गैरसायलान न0 2 ता 5 की रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 व कफल 10.9390हैक मध्य में से उतरी से दक्षिण रास्ता चालू है 1-1 बिश्वा रास्ता सायलान न0 1 ,3 ,4 के लिये मन्जूर किया जाना अवश्यक है जिससे सायलान हमेशा उक्त चालू रास्ता का बिना किसी बाधा से उपयोग उपभोग करत आ रह है ।

गैर सायलान उक्त 50 वर्षों से ज्यादा समय से चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने की वजह से सायलान के मुखलिफों के बहकावें में आकर गांव की आपसी पाटीबाजी के वजह से सालान को तंग परेशान करने के उदेश्य से सदामत से चालू रास्ता को बन्द करने की योजना बना रहे हैं गैर सायलान अपने मकसद में कामयाब होने से सायलान को अपूर्णी क्षति होती है।

सायलान ने गैरसायलान को मई मर्तबा कहा की वे हमेशा से चालू रास्ता जो 50 वर्षों से ज्यादा समय से चल रहा है को किसी प्रकार बन्द करने का ईरादा त्याग देवे तथा प्रश्नगत रास्ता पूर्वजों के समय से चालू है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 की कुल 22.9660हैक जो गैरसायलान न0 6 ता 17 के नाम दर्ज है मे से पूर्वी किनारे उतर से दक्षिणी फिर पश्चिम से पूर्व उतरी किनारे तथा फिर पूर्वी किनारे से उतर दक्षिण एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे इसी प्रकार रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न0 394/4 की 0.7180हैक भूमि में से उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता सायल न0 1 के खेत खाता संख्या 235/121 के खसरा न0 393/3 की 0.7180हैक भूमि तथा सायल न0 2 के भूमि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 234/121 के खसरा 297/2 की 0.7180हैक के लिये सायल नम्बर 1 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 235/121 के खसरा न0 393/3 की 0.7180हैक भूमि में उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत फरमावे तथा सायलान न0 1 ,3 ,4 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 की कुल 10.7630हैक में गैरसायल न0 2 ता 5 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 की कुल 10.9390हैक के मध्य मे से उतर से दक्षिण की एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल को रजिस्टर नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी गैरसायल या उनका प्लीडर उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई गैरसायल न0 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थिति आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित

तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ से हसंराज के खेत से अपने खेत में पतराम एवं भूराराम के खेत से होते हुए मंगलाराम के खेत में प्रवेश करते हैं तथा 50 वर्षों से इसी रास्ता से अपने पिता के किये गये बटवारे एव रास्ता का सदामत से उपयोग करते आ रहे हैं। उत्तरदाता ने कभी भी रास्ता बन्द नहीं किया है प्रार्थीगण ने पक्का खाला कहा पर स्थित है नहीं बतलाया है तथा प्रार्थीगण ने पक्की पुली का भी कथन छुपाया है तथा प्रार्थीगण जहा से रास्ता चाहा रहा है वहा कृषि भूमि 15 फीट नीची है तथा खेत में सिचाई हेतु पाईप लाईन स्थित है तथा 15 फीट नीचे पानी लगाने हेतु खाता का निर्माण किया हुआ है प्रार्थीगण अपने निवास स्थान से गांव से चलकर रास्ता से होकर आते हुए खसरा न0 397/4 ,397/3 ,397/2, 397/1 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक - एक गठठा रास्ता चालू है जो कि करीबन 50 वर्षों से चालू है उक्त रास्ता से चारो भाई पतराम, भूराराम , हसराम , मंगलाराम की उपस्थिति में पतराम एव भूराराम के राजीनामा के हस्ताक्षर किये गये हैं तथा यह राजीनामा गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष किया गया था एव इसी अनुसार रास्ता का आवागमन कर रहे हैं प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के नाम की भूमि में जिस खसरा की भूमि में रास्ता चालू होना बताया रहा है वह रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है ना अब बल्कि वहा पर सदा फसल काशत होती रही है तथा मौका पर ग्वार की फसल काशत की हुई है प्रार्थना पत्र में मनगढत तथ्य अंकित किये गये हैं अतः खसरा न0 397/4 ,397/3 ,397/2 ,397/1 के दक्षिणी में पूर्व से पश्चिम 10 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 ,2 को कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल की जाकर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान व गैर सायलान आपस में खेत पडोसी है तथा सायलान के खेत का रास्ता पूर्वजों के समय से 50 वर्षों से अधिक समय से चलता आ रहा है सायलान के खेत का रास्ता उनके पूर्वजों के समय से 50 साल से ज्यादा समय से गैर सायलान के खेत में से होकर हमेशा चालू है जिसका वे उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं तथा उनके खेत का एक मात्र नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता पुराने समय से चला आ रहा है जिसको गैर सायलान अब सायलान की मुखालिफो के बहकावे में आकर राजेनेतिक पार्टी बाजी के वजह से उन्हें परेशान करने की गर्ज से बन्द करने की योजना बना रहे हैं जिससे सायलान को अपूर्ण्य क्षति होती है।

सायलान के खेत का यही एक मात्र रास्ता है तथा सालयान का खेत गांव के दक्षिणी तरफ पडता है तथा सायलान गांव तथा सायलान गांव से चलकर माईनर के साथ साथ लगते हुए रास्ता से होते हुए प्रथम सतवीर आदि गैर सायलान न0 6 ता 17 से पूर्वी तरफ से उतर दक्षिण वाके रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 की कुल 23.9660 हैक् से होकर उसके पश्चात गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न0 397/4 के उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम सायल न0 1 के खेत खसरा नप0 397/3 में प्रवेश कर जाता है तथा सायल न0 1 के खेत खसरा न0 397/3 के उतरी किनारे से पूर्व से पश्चिम सायल न0 2 भूराराम अपने खेत खसरा न0 397/2 में प्रवेश कर जाता है तथा इसी प्रकार सायलान 1 ,3 ,4 अपने खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 की कुल 10.7630 हैक् गैरसायलान न0 2 ता 5 की रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 व् कफल 10.9390 हैक् मध्य में से उतरी से दक्षिण रास्ता चालू है 1-1 बिश्वा रास्ता सायलान न0 1 ,3 ,4 के लिये मन्जूर किया जाना अवश्यक है जिससे सायलान हमेशा उक्त चालू रास्ता का बिना किसी बाधा से उपयोग उपभोग करत आ रह है ।

गैर सायलान उक्त 50 वर्षों से ज्यादा समय से चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से सायलान के मुखलिफों के बहकावें में आकर गांव की आपसी पार्टी बाजी के वजह से सालान को तंग परेशान करने के उदेश्य से सदामत से चालू रास्ता को बन्द करने की योजना बना रहे हैं गैर सायलान अपने मकसद में कामयाब होने से सायलान को अपूर्ण्य क्षति होती है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 की कुल 22.9660 हैक् जो गैरसायलान न0 6 ता 17 के नाम दर्ज है मे से पूर्वी किनारे उतर से दक्षिणी फिर पश्चिम से पूर्व उतरी किनारे तथा फिर पूर्वी किनारे से उतर दक्षिण एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे इसी प्रकार रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न0 394/4 की 0.7180 हैक् भूमि में से

उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता सायल न० 1 के खेत खाता संख्या 235/121 के खसरा न० 393/3 की 0.7180हैक भूमि तथा सायल न० 2 के भूमि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 234/121 के खसरा 297/2 की 0.7180हैक के लिये सायल नम्बर 1 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 235/121 के खसरा न० 393/3 की 0.7180हैक भूमि में उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत फरमावे तथा सायलान न० 1 ,3 ,4 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 की कुल 10.7630हैक में गैरसायल न० 2 ता 5 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 की कुल 10.9390हैक के मध्य मे से उतर से दक्षिण की एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ से हसंराज के खेत से अपने खेत में पतराम एवं भूराराम के खेत से होते हुए मंगलाराम के खेत में प्रवेश करते है तथा 50 वर्षों से इसी रास्ता से अपने पिता के किये गये बटवारे एव रास्ता का सदामत से उपयोग करते आ रहे है। उत्तरदाता ने कभी भी रास्ता बन्द नही किया है प्रार्थीगण ने पक्का खाला कहा पर स्थित है नही बतलाया है तथा प्रार्थीगण ने पक्की पुली का भी कथन छुपाया है तथा प्रार्थीगण जहा से रास्ता चाहा रहा है वहा कृषि भूमि 15 फीट नीची है तथा खेत में सिचाई हेतु पाईप लाईन स्थित है तथा 15 फीट नीचे पानी लगाने हेतु खाता का निर्माण किया हुआ है प्रार्थीगण अपने निवास स्थान से गांव से चलकर रास्ता से होकर आते हुए खसरा न० 397/4 ,397/3 ,397/2, 397/1 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक - एक गठठा रास्ता चालू है जो कि करीबन 50 वर्षों से चालू है उक्त रास्ता से चारो भाई पतराम, भूराराम , हसराम , मंगलाराम की उपस्थिति में पतराम एव भूराराम के राजीनामा के हस्ताक्षर किये गये है तथा यह राजीनामा गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष किया गया था एव इसी अनुसार रास्ता का आवागमन कर रहे है प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के नाम की भूमि में जिस खसरा की भूमि में रास्ता चालू होना बताया रहा है वह रास्ता कभी भी चालू नही रहा है ना अब बल्कि वहा पर सदा फसल काशत होती रही है तथा मौका पर ग्वार की फसल काशत की हुई है प्रार्थना पत्र में मनगढत तथ्य अंकित किये गये है अतः खसरा न० 397/4 ,397/3 ,397/2 ,397/1 के दक्षिणी में पूर्व से पश्चिम 10 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 ,2 को कोई ऐतराज नही है

हमने वकील सायलान की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 235/121 के खसरा न० 397/3 की 0.7180हैक सायल न० 1 के कब्जा काशत की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 खसरा न० 187/1 की 0.5690है व खसरा न० 187/2 की 3.7310हैक व खसरा न० 396/2 की 6.4630हैक कुल 10.7630हैक सायलान न० 1 ,3 ,4 की सयुक्त कब्जा काशत की भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 234/121 खसरा न० 397/2 की 0.7180हैक सायल संख्या 2 के कब्जा काशत की खातेदारी भूमि है।

रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न० 397/4 की 0.7180हैक गैरसायल न० 1 के कब्जा काशत की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 के खसरा न० 187/1 की 3.1990हैक व खसरा न० 187/10 की 0.5060हैक व खसरा न० 187/9 की 0.7590हैक व खसरा न० 396/3 की 6.4750हैक कुल 10.9390हैक गैरसायल संख्या 2 ता 5 की सयुक्त रूप से कब्जा काशत की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 के खसरा न० 114/1 की 2.2770हैक व खसरा न० 114/2 की 1.1380हैक व खसरा न० 212 की 0.1140हैक व खसरा न० 224/3 की 2.0110हैक व खसरा न० 343/2.1750हैक व खसरा न० 345/2.8080हैक व खसरा न० 364 की 4.6920हैक व खसरा न० 391/0.0760हैक व खसरा न० 393/0.1260हैक व खसरा न० 394/2 की 5.7410हैक व खसरा न० 398/1 की 2.8080हैक कुल 23.9660हैक गैर सायलान न० 6 ता 17 की सयुक्त रूप से कब्जा काशत की खातेदारी भूमि है।

प्रस्तुत दस्तावेजात एव नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान एवं गैरसायलान एक दुसरे के चिपते /पडौसी खातेदार काशतकार है एक ही परिवार के सदस्य है।

सायलान का कथन है प्रश्नगत रास्ता पूर्वजों के समय 50 साल पूर्व से चल रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है अर्थात सदामत से चालू रास्ता के सम्बधित काशतकार के खेत में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

0

उपखण्ड अधिकारी  
बोहर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार सायलान एव गैरसायलान एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है तहसीलदार नोहर के द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा जोखासर के खसरा न0 398/1 के पूर्वी दिशा , खसरा न0 397/4 की पूर्वी दिशा , खसरा न0 396/3 की मध्य से आवागमन कर रहे है व खसरा न0 397/2 ,397/3 में वर्तमान में आवागतन नही हो रहा है खसरा न0 240 रास्ता ग्राम जोखासर से पाण्डुसर का स्वीकृत शुद्धा रास्ता है लेकिन खसरा न0 399/1 जबरासर माईनर के पास से चल रहा है आम रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में नोहर साहबा लिफ्ट केनाल के नाम दर्ज है आवेदित भूमि के अलावा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नही हे लेकिन खसरा न0 397/4 व खसरा न0 397/3 में आवेदित रास्ता खसरो के उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम की और है जो वर्तमान में चालू है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता सालों से चालू है एवं वर्तमान में भी चल रहा है मौका रिपोर्ट अनुसार सायलान को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है यही रास्ता सायलान एव अन्य काश्तकारों का उनकी खातेदारी भूमि में जाने के उपयुक्त एवं सुविधाजनक है।

सायलान का कथन है कि उक्त रास्ता जो सदामत से चालू है को राजस्व रिकार्ड में सम्बधित काश्तकार के खाते में ही दर्ज किया जावे ताकि अन्य काश्तकारों के हित भी प्रभावित ना हो सके तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता चालू है तथा वर्तमान में आवागमन हो रहा है मात्र राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना है।

गैरसायल का कथन है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी चालू नही रहा है हमेशा से दक्षिण में पूर्व से पश्चिम रास्ता चालू रहा है जिसे स्वीकृत किया जाता है तो ऐतराज नही है।

गैरसायलान ने अपने कथनों के समर्थन में पूर्व मे हुए राजीनामा की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार नजरीय नक्शा में नीले रंग दर्शाया गया रास्ता आपसी सहमति से छोडा गया था जो वर्तमान में चालू है जिसे गैरसायल ने अपने जबाब में भी स्वीकार किया है।

जब सायल को गैरसायलान ने आपसी सहमति से रास्ता दिया जा चुका है जिस पर स्वयं सायल की सहमति के रूप में हस्ताक्षर भी है तो सायल पुनः नया रास्ता की मांग की जानी उचित नही है पूर्व में आपसी सहमति से जो रास्ता दिया जा चुका है तथा वर्तमान में चालू है को ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहिये अन्य रास्ता की मांग की जानी उचित नही है।

गैरसायल का कथन है कि जहाँ से सायल रास्ता चाहता है वहा पर पक्का खाला है और पक्की पुली बनी हुई है वहा कृषि भूमि 15 फीट नीची है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में इस कथन हो छुपाया है गैरसायल के कथन को सायल के पास को प्रतिउत्तर नही है अर्थात सायल ने उक्त तथ्यों को छुपाया है।

मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में खसरा न0 397/4 व खसरा न0 397/3 मे आवेदित रास्ता उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की और है जबकि उक्त दोनो खसरो में मौका स्थिति अनुसार दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की और उचित रहेगा

नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान ने जहाँ से रास्ता चाहा गया है वह उचित नही है बल्की आपसी सहमति से पूर्व में बनाया गया रास्ता जो वर्तमान में चालू भी और गैरसायलान को कोई ऐतराज भी नही है दिया जाना उचित अंकित किया गया है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान पूर्व में आपसी सहमति से छोडा गया रास्ता जो वर्तमान में चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे सायलान राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है

किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित हे किन्तु जहाँ से रास्ता दिया जा रहा है वह सायल व अन्य काश्तकारो के लिये उपयोगी हो और अन्य किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नही होते हो

मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा न0 397/4 , 397/3 में मौका स्थिति अनुसार दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की रास्ता उचित है तथा यही रास्ता सायलान एव गैरसायलान ने आपसी सहमति से पूर्व में छोडा गया था जो चालू भी है जिस पर सहमति के रूप में पतराम के हस्ताक्षर भी है जब सायल पतराम को सहमति से रास्ता प्राप्त हो रहा है तो अन्य रास्ता की मांग की जानी उचित नही है मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता में गैरसायलान को भी कोई ऐतराज नही है


01

अग्रखण्ड अधिकारी  
नोहर

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान पूर्व में आपसी सहमति से छोड़े गये रास्ता जो वर्तमान में चालू है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार उचित है को ही स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है अन्य रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है यह विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है आपसी सहमति से रास्ता मिलता हो तो विवाद नहीं करना चाहिये ना ही अन्य रास्ता की मांग करनी चाहिये हस्तगत प्रकरण में गैरसायलान आपसी सहमति से रास्ता देने को तैयार है जो सभी के हितो के प्रति न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 की कुल 22.9660 हैक् जो गैरसायलान संख्या 6 ता 17 के नाम दर्ज है में से पूर्वी किनारे उतर से दक्षिण फिर पश्चिम से पूर्व उतरी किनारे तथा फिर पूर्वी किनारे से उतर दक्षिण एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर सम्बधित काश्तकार/खातेदार के खाते में ही रास्ते के रूप में दर्ज किया जाता है रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न0 397/4 की 0.7180 हैक् में से दक्षिण दिशा में दक्षिणी किनारे पूर्व से पश्चिम एक विश्वा रास्ता सायल न0 1 के खेत खाता संख्या 235/121 के खसरा न0 397/3 की 0.7180 हैक् भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाता है तथा इस रास्ता में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल संख्या 1 , गैरसायल संख्या 1 को उसकी भूमि के चितपे हुए देगा तथा सायल न0 2 की भूमि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 234/121 के खसरा न0 397/2 की 0.7180 हैक् के लिये सायल न0 1 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 235/121 के खसरा न0 397/3 की 0.7180 हैक् भूमि में दक्षिणी किनारे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल संख्या 2 , सायल संख्या 1 को उसकी भूमि के चितपे हुए देगा इसी प्रकार सायलान न0 1 ,3 ,4 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 की कुल 10.7630 हैक् के लिये गैरसायलान न0 2 ता 5 की भूमि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 की कुल 10.9390 हैक् के मध्य में से उतर से दक्षिण एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत रास्ता राजस्व सदामत से चालू रास्ता होने के कारण सम्बधित काश्तकार के खाते में रास्ते के रूप में दर्ज रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/799

तहसीलदार,  
नोहर

दिनांक 25/07/24

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सं० 09/2023 निर्णय दिनांक

अनवान :-

1. पतराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भुराराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. दलीप कुमार पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर
4. नत्थुराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम्

1. हंसराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मंगलाराम पुत्र जगुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
3. जयसिंह पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
4. बुधराम पत्रु मंगलाराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
5. भागीरथ पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
6. सतवीर पुत्र रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
7. जगदीश पुत्र रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
8. कमला पुत्री रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
9. नीमा पुत्री रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. विमला पुत्री रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
11. रेशम पत्नी रणजीत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. काशीराम पुत्र मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील जिला हनुमानगढ
13. बाधो पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
14. मीरा पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
15. रेशमा पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. शारदा पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
17. सन्तो पुत्री मोमनराम जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर हनुमानगढ
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

-गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 139/138 की कुल 22.9660 हैक् जो गैरसायलान संख्या 6 ता 17 के नाम दर्ज है में से पूर्वी किनारे उतर से दक्षिण फिर पश्चिम से पूर्व उतरी किनारे तथा फिर पूर्वी किनारे से उतर दक्षिण एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर सम्बन्धित काश्तकार/खातेदार के खाते में ही रास्ते के रूप में दर्ज किया जाता है रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 236/121 के खसरा न० 397/4 की 0.7180 हैक् में से दक्षिण दिशा में दक्षिणी किनारे पूर्व से पश्चिम एक विश्वा रास्ता सायल न० 1 के खेत खाता संख्या 235/121 के खसरा न० 397/3 की 0.7180 हैक् भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाता है तथा इस रास्ता में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल संख्या 1, गैरसायल संख्या 1 को उसकी भूमि के चितपे हुए देगा तथा सायल न० 2 की भूमि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 234/121 के खसरा न० 397/2 की 0.7180 हैक् के लिये सायल न० 1 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 235/121 के खसरा न० 397/3 की 0.7180 हैक् भूमि में दक्षिणी किनारे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल संख्या 2, सायल संख्या 1 को उसकी भूमि के चितपे हुए देगा इसी प्रकार सायलान न० 1, 3, 4 के खेत रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 89/87 की कुल 10.7630 हैक् के लिये गैरसायलान न० 2 ता 5 की भूमि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 120/119 की कुल 10.9390 हैक् के मध्य में से उतर से दक्षिण एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत रास्ता राजस्व सदामत से चालू रास्ता होने के कारण सम्बन्धित काश्तकार के खाते में रास्ते के रूप में दर्ज रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व) नोहर